



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विक्शन” के क्रम में गौवंश का हलाल करने के आरोपी इस्तेखार उर्फ मिर्ची को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 05 वर्ष का कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-




अवगत कराना है कि वर्ष 2014 में अभियुक्त इस्तेखार उर्फ मिर्ची पुत्र आशक निवासी ग्राम बसोद थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा पुलिस पर हमला तथा गौवंश का हलाल करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 259/2014 धारा 153/353/307/504//506 व 3/5/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 12.11.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त इस्तेखार उर्फ मिर्ची को दोषी पाते हुए 05 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



गगन गौड
एडीजीसी



का0 योगेश कुमार
कोर्ट पैराकार

@baghpatpolice

baghpatpolice



Baghpat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक 12.11.2025

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 149/2025 धारा 115(2)/191(2)/351(2)/324(4)/352 बीएनएस व धारा 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम से सम्बन्धित प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 03 गाडी बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.11.2025 को वादी श्री अनुज कुमार पुत्र बिजेन्द्र निवासी कानौली बिचपडी कोतवाली बागपत जनपद बागपत के साथ 04 कार सवार नाम पता अज्ञात द्वारा उसके साथ मारपीट कर गाली गलौच की



तथा टोल पर तोडफोड नुकसान पहुंचाया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 149/25 धारा 115(2)/324(4)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 149/2025 धारा 115(2)/191(2)/351(2)/324(4)/352 बीएनएस व धारा 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम से सम्बन्धित प्रकाश में आये 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त 03 गाडी बरामद हुई हैं।


उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



नोट- उक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 191(2)/351(2) व धारा 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की बढोत्तरी की गयी है।

बरामदगी की विवरण-

- बलैनो कार नम्बर UP15EU2339
- एक्सयूबी 500 कार नम्बर UP15DA4252
- स्कोर्पियों कार नम्बर UP15EU5947



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

भरत पुत्र संजय निवासी ग्राम सलारपुर थाना गंगानगर जनपद मेरठ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 उधम तालान थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 नन्दकिशोर थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 3-उ0नि0 गिर्राज शर्मा थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 4-है0का0 657 अवधेश शर्मा थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 5-का0 912 सूरज थाना बालैनी जनपद बागपत।
- 6-का0 418 परमजीत थाना बालैनी जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-12.11.2025

थाना दोघट पुलिस ने थाने मु0अ0सं0 298/2025 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक जोड़ी पाजेब सफेद धातु बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11-11-2025 को थाना दोघट पर वादी अमन कुमार पुत्र अनिल निवासी पट्टी मादान कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त छोटू पुत्र इन्द्रपाल निवासी पट्टी मादान कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत के द्वारा दिनांक 02.10.2025 की रात्रि में उसके घर से एक मोबाइल फोन VIVO TX , एक जोड़ी पाजेब व 10,000 रुपये चोरी कर लिये हैं । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 298/2025 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 298/2025 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक जोड़ी पाजेब सफेद धातु की बरामद की गयी हैं । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- मुकदमा उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की बृद्धि की गयी है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

छोटू उर्फ वासुदेव पुत्र इंद्रपाल निवासी पट्टी मादान करुबा व थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त छोटू उर्फ वासुदेव का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 99/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना दोघट बागपत ।

2-मु0अ0सं0 258/22 धारा 457/380/411 भादवि थाना दघट बागपत ।


3-मु0अ0सं0 298/2025 धारा 305(a)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना दोघट बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 बिरजू शर्मा थाना दोघट जनपद बागपत ।

3-का0 1060 गौरव कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 12.11.2025

थाना चांदीनगर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता-

जितेन्द्र उर्फ गोल्डी पुत्र कुवरपाल निवासी ग्राम खट्टा प्रहलादपुर थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-का0 979 अवधेश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-का0 883 उमाशंकर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।